

संख्या-844/एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
30 प्र 0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर, जौनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, झांसी, गोंडा, अयोध्या, अमरोहा, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, कानपुर शहर, प्रयागराज, कानपुर देहात, मैनपुरी, मेरठ, शाहजहांपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बलिया, बरेली, हापुड, अमेठी, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, आजमगढ़, गोरखपुर, इटावा एवं महाराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक 21/05/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्पदंश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सं0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1006.00 लाख (रूपये दस करोड छः लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान

-:करती हैं

क्र0	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	सिद्धार्थनगर	सर्पदंश	2100000.00
2	जौनपुर	सर्पदंश	5000000.00
3	पीलीभीत	सर्पदंश	3000000.00
4	बिजनौर	सर्पदंश	2000000.00
5	झांसी	सर्पदंश	7000000.00
6	गोंडा	सर्पदंश	2500000.00

7	अयोध्या	सर्पदंश	3000000.00
8	अमरोहा	सर्पदंश	1000000.00
9	अम्बेडकरनगर	सर्पदंश	5000000.00
10	कुशीनगर	सर्पदंश	2400000.00
11	कानपुर शहर	सर्पदंश	1600000.00
12	प्रयागराज	सर्पदंश	2500000.00
13	कानपुर देहात	सर्पदंश	4000000.00
14	मैनपुरी	सर्पदंश	2500000.00
15	मेरठ	सर्पदंश	2000000.00
16	शाहजहांपुर	सर्पदंश	10000000.00
17	उन्नाव	सर्पदंश	3000000.00
18	बुलन्दशहर	सर्पदंश	2000000.00
19	गौतमबुद्धनगर	सर्पदंश	1200000.00
20	बलिया	सर्पदंश	2000000.00
21	बरेली	सर्पदंश	2500000.00
22	हापुड	सर्पदंश	800000.00
23	अमेठी	सर्पदंश	8000000.00
24	कन्नौज	सर्पदंश	2000000.00
25	अलीगढ़	सर्पदंश	1500000.00
26	रायबरेली	सर्पदंश	10000000.00
27	आजमगढ़	सर्पदंश	5000000.00
28	गोरखपुर	सर्पदंश	2000000.00
29	इटावा	सर्पदंश	2000000.00
30	महराजगंज	सर्पदंश	3000000.00
योग			100600000.00
(रु० दस करोड छः लाख मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही

सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(4) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1006.00 लाख (रूपये दस करोड छः लाख मात्र) चालू वित्त तीवर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

(राम केवल) 21-05-2024 10:59:37

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या- 844(1)/एक-10-2024, तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र0 प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30 प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30 प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30 प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30 प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30 प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-24/05/2024

प्रेषण संख्या:- 844
आवंटन आदेश संख्या:- 001-844
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 6800000	2000000 6800000
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 15100000	2000000 15100000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 4000000	1500000 4000000
4	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 6000000	2500000 6000000
5	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5000000	2500000 5000000
6	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3200000	2000000 3200000
7	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 22000000	10000000 22000000
8	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 18200000	3000000 18200000
9	इटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 8200000	2000000 8200000
10	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 9600000	1600000 9600000
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 5000000	2500000 5000000
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 15000000	7000000 15000000
13	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
14	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 7000000	2000000 7000000
15	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
16	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 10000000	5000000 10000000
17	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 8000000	3000000 8000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
18	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2300000	1000000 2300000
19	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 1100000	300000 1100000
20	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 750000	250000 750000
21	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 1000000	400000 1000000
22	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	210000 1210000	210000 1210000
23	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 500000	300000 500000
24	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 520000	240000 520000
25	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 1100000	500000 1100000
26	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 4240000	120000 4240000
27	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000 500000	200000 500000
28	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 500000	100000 500000
29	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 2200000	800000 2200000
30	हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	80000 640000	80000 640000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10060000 32270000	10060000 32270000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ छः लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस करोड़ सत्ताइस लाख

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन